CANCELLED

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

## केम्प कोर्ट, जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण क्र. निगरानी - 6287/2018/जबलपुर/भू.रा.

पुनरीक्षणकर्ता / : कुँवरलाल केवट आ. स्व. श्री गुलाबचंद केवट
अपीलार्थी आयु लगभग 57 वर्ष निवासी सुभाषनगर
डॉक्टर कालोनी के पीछे, मड़फैया पुरवा, गढ़ा,
जबलपुर (म.प्र.)

(129)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण/ : 1. विनय केवट आत्मज स्व. श्री गुलाब चंद
अनावेदकगण केवट आयु 53 वर्ष
2. महेन्द्र केवट आत्मज स्व. श्री गुलाब चंद
केवट आयु 48 वर्ष
दोनों निवासी म.नं. 1585, पुरवा चुंगी चौकी
नं. 13 पुरवा गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.)

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
25 OCT 2018

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित निवेदन करता है -

पुनरीक्षणाधीन आदेशः-

न्यायालय श्रीमान् श्रीनिवास शर्मा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा द्वितीय राजस्व अपील क्र. 156/अ-6/2013-14 पक्षकार कुंवरलाल केवट विरुद्ध विनय केवट एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग-गोरखपुर जबलपुर के राजस्व अपील क्र. 56/अ-6/2009-10 में पारित प्रथम अपीलीय आदेश 29.01.2013 एवं माननीय तहसीलदार गोरखपुर -1, जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 9/अ-6/

COMMISSIONER OF OATHS
25 OCT 2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–जबलपुर/भू.रा./2018/6287

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3/12/18 | यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 156/अ–6/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.8.2018 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत म0प्र0 राजस्व मण्डल में दिनांक 25–10–18 को प्रस्तुत की गई है।<br>2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार गोरखपुर व्दारा जबलपुर ने प्र.क. 9/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 22.10.09 से मौजा पुरवा की भूमियों पर नामान्तरण किया है। इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर जबलपुर ने प्रकरण कमांक 56 अ–6/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–1–13 से अपील निरस्त की है। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग ने प्रकरण 156/अ–6/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.8.2018 से अपील अस्वीकार की है जिसके विरूद्व यह निगरानी म0प्र0 राजस्व मण्डल में दिनांक 25–10–18 को प्रस्तुत की गई है।<br>4/ अनुवभागीय अधिकारी जबलपुर व्दारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 29.1.13 एंव अपर आयुक्त, जबलपुर व्दारा द्वित्तीय अपील में पारित आदेश दिनांक 25.10.18 के विरूद्व यह निगरानी है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये सॅशोधन (प्रभावी दिनांक 25–9–2018) के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है –<br><br>धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन –<br>(ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ।<br>ग्रहण नहीं किया जायेगा।<br><br>फलतः निगरानी ग्राह्य–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।<br><br>सदस्य | |